# MANUAL – 6

## SEC 4. (1) (b) (vi) A STATEMENT OF THE CATEGORIES OF DOCUMENTS THAT ARE HELD BY IT OR UNDER ITS CONTROL

The documents held by this organization are :

| S. No. | Category | Subject of the document |
|---|---|---|
| 1. | Development of Textile Industry | **Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)**<br><br>A flagship scheme of the Ministry of Textiles, Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) was introduced in 1999 to catalyze investments in all the sub-sectors of textiles and jute industry for technology upgradation of the machinery by way of 5% interest reimbursement. The scheme was initially approved from 01.04.1999 to 31.03.2004. Subsequently, the scheme was extended in 2004 and again in 2007 with modifications. The Scheme was suspended between 29.06.2010 and 27.04.2011. The total investment catalyzed upto 2010 is Rs.2,07,747 crore.<br><br>**The Restructured TUF Scheme (RTUFS)**<br><br>The Restructured TUF Scheme (RTUFS) was launched w.e.f. 28/04/2011 to 31/03/2012 with an overall subsidy cap of Rs. 1972 crores from the date of the Resolution up to 31.03.2012, which was expected to leverage an investment of Rs.46,900 crore, with sectoral investment shares of 26% for spinning, 13% for weaving, 21% for processing, 8% for garmenting and 32% for others. Since the earmarked subsidy cap of Rs.1972 crores was not fully utilized and to avoid any hiatus as the 12th Plan TUFS proposals were not finalized, the Ministry of Textiles in accordance with Ministry of Finance, Department of Expenditure, Plan Finance - II Division clarificatory O.M. NO.1(3)/P.F.II/2011 dated 23.4.2012 allowed extension of R-TUFS into the first year of 12th Plan to the extent of availability of unutilized subsidy cap. The Restructured TUFS and its continuation in the 12th Plan has attracted an investment of Rs.37,513 crore.<br><br>**Revised Restructured Technology Upgradation Fund Scheme (RR-TUFS).**<br><br>R-TUFS was extended for the first year of the 12th Plan, i.e. upto 31.03.2013. The Scheme was further continued in Revised Restructure form with effect from 01.04.2013 to 12.01.2016 and known as Revised Restructured Technology Up-gradation Fund Scheme (RRTUFS). The CCEA approved total fund allocation under TUFS for 12th Plan period of Rs.11952.80 crore. Further, in |

the Revised Restructured TUFS (RRTUFS), total subsidy outflow to standalone spinning sector was kept at 26% of plan allocation of Rs.11952.80 crore.

**Amended TUFS (ATUFS)**

The Amended Technology Up-gradation Fund Scheme (ATUFS) has been notified by the Ministry of Textiles vide Resolution of even number dated 13.01.2016. In accordance to the said Resolution, the financial and operational parameters and implementation mechanism for ATUFS during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 are given in Guidelines of ATUFS issued vide Resolution No. 6/5/2015-TUFS dt. 29.02.2016.

The objective as given in the guidelines are given below:

To promote ease of doing business in the country and achieve the vision of generating employment and promoting exports through "Make in India" with "Zero effect and Zero defect" in manufacturing.

To facilitate augmenting of investment, productivity, quality, employment, exports along with import substitution in the textile industry. It wall also indirectly promote investment in textile machinery (having benchmarked technology) manufacturing.

The rates and overall subsidy caps are indicated below :

Every eligible individual entity will be paid Capital Investment Subsidy (CIS) under ATUF Scheme, on the eligible investment, as per the rates and the overall subsidy cap indicated overleaf :

| Sl. No | Segment | Rate of Capital Investment Subsidy (CIS) | CIS per individual entity |
|---|---|---|---|
| 1. | Garmenting, Technical Textiles # | 15% on eligible Machines | Rs.30 Crore* |
| 2 | Weaving for brand new Shuttle-less Looms (including weaving Preparatory and knitting), Processing, Jute, Silk and Handloom. | 10% on eligible machines | Rs.20 Crore* |
| 3(a) | (a) Composite unit/ Mulfiple Segments- If the eligible capital investment in respect of Garmenting & Technical Textiles category is more than 50% of the eligible project cost. | 15% on eligible machines | Rs.30 Crore* |
| 3(b) | (b) Composite unit/ Multiple Segments- If the eligible capital investment in respect of Garmenting & Technical Textile category is less than 50% of the eligible project cost. | 10% on eligible machines | Rs.20 Crore* |

| | | |
|---|---|---|
| | | * In case the applicant had availed subsidy earlier under RRTUFS, he will be eligible for only the balance amount within the overall ceiling fixed for an individual entity. The maximum subsidy for overall investment by an individual entity under ATUFS will be restricted as indicated above for respective segments.<br><br># In the meeting of the Union Cabinet held on 22.06.2016, under the Chairmanship of Prime Minister, additional incentives for textile and apparel sector has been approved. The additional incentives inter-alia cover providing production incentive through Technology Up-gradation Fund Scheme (TUFS) linked Capital Subsidy. The additional incentive to the garmenting sector has been notified vide Resolution No.6/18/2016-TUFS dated 25.07.2017 as **Scheme for Production and Employment Linked Support for Garmenting Units (SPELSGU) under ATUFS**, in incentives production and employment generation in the garmenting sector (ITC NSN Code Chapter 61,62). As per the objective of the SPELSGU, to boost employment generation in the textiles sector, the Government would provide an additional 10% Capital Investment Subsidy (CIS) for garmenting units which have availed 15% CIS benefit under ATUFS based on the achievements of projected production and employment after a period of 3 years. The period of 3 years will be counted from the date of release of ATUFS subsidy to that unit. The Scheme came into effect from the date of the Resolution of ATUFS i.e. 13.01.2016 till 31.03.2019.<br><br>Further, on the lines of SPELSGU the benefit has been extended to made-ups manufacturing units under ATUFS. The same has been notified vide Resolution No.6/18/2016-TUFS dated 10.01.2017. As additional subsidy of 10% are provided to the made-ups units enhancing the cap to Rs.50 crore on the lines of SPEL?SGU under ATUFS based on achievement of the projected production and employment as given in the Detailed Project Report (DPR). The additional subsidy will be disbursed after a period of three years. |

**Statewise UID issued under Amended TUFS (ATUFS) position as on 31.03.2022**

**Statewise Unique Identification Number(UID) issued under Amended TUFS(ATUFS) Position as on 31/03/2022**

| State Name | No. of Application(Units) /cases | Total Project Cost (Cr.) | Provisional Subsidy Amount (Cr.) | New Employment Total | Existing Employment Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDHRA PRADESH | 35 | 775.23 | 31.47 | 8473 | 8996 |
| ASSAM | 1 | 10.79 | 0.41 | 59 | 0 |
| BIHAR | 5 | 118.33 | 8.94 | 280 | 39 |
| CHATTISGARH | 7 | 125.22 | 9.34 | 297 | 318 |
| DADRA & NAGAR | 161 | 1300.18 | 100.55 | 5718 | 15814 |
| DAMAN & DIU | 32 | 183.09 | 11.35 | 727 | 3222 |
| DELHI | 32 | 54.58 | 5.73 | 337 | 2562 |
| GUJARAT | 7893 | 28868.13 | 2207.42 | 90187 | 81594 |
| HARYANA | 635 | 3425.48 | 283.09 | 28974 | 231605 |
| HIMACHAL PRADESH | 23 | 173.42 | 13.17 | 630 | 2986 |
| JHARKHAND | 12 | 482.28 | 36.62 | 9902 | 6304 |
| KARNATAKA | 158 | 2594.69 | 186.02 | 44060 | 54503 |
| KERALA | 12 | 63 | 3.25 | 663 | 2798 |
| MADHYA PRADESH | 136 | 2195.79 | 129.82 | 7825 | 12575 |
| MAHARASHTRA | 1729 | 8489.89 | 576.15 | 26724 | 54850 |
| ORISSA | 3 | 122.9 | 2.19 | 2522 | 9950 |
| PUNJAB | 1053 | 2691.86 | 204.53 | 16298 | 121526 |
| RAJASTHAN | 420 | 3825.96 | 207.95 | 11860 | 60738 |
| TAMIL NADU | 1405 | 8024.9 | 595.98 | 88661 | 519566 |
| TELANGANA | 30 | 1728.25 | 73.4 | 2866 | 1445 |
| UTTAR PRADESH | 378 | 2009.69 | 156.76 | 27302 | 106432 |
| UTTARANCHAL | 20 | 321.71 | 28 | 2405 | 2422 |
| WEST BENGAL | 212 | 1577.6 | 91.11 | 16519 | 41477 |
| **Grand Total** | **14392** | **69162.97** | **4963.25** | **393289** | **1341722** |

## 1. Revised Comprehensive Powerloom Cluster Development Scheme

Setting up Powerloom Mega Cluster create world-class infrastructure to integrate the production chain, to fulfill the business needs of the local Small and Medium Enterprises (SMEs) and to boost production and export etc.

| | | |
|---|---|---|
| | | Interventions will be provided directly to existing weaving units or to an SPV with private equity participation depending on needs of the cluster. Government grant/equity would be provided with the expectation of matching investment by the industry in the ratio of 60:40 :: Government : Private. That is Rs.60 crore by Government grant would be required to mobilize a matching investment of Rs.40 crore in the project, however, based on need/financial closure, the ratio may be varied with approval of the PAMC for individual components by exercise of flexibility within this overall ratio of investment.<br><br>1. The following components of the project will be eligible for funding under the scheme, within the overall limit of the grant in the cluster:<br><br>(i) Common Facility Centres (CFCs) for pre and post loom weaving processing.<br><br>(ii) Mini-Industrial Parks with Worksheds supported by Core Infrastructure<br><br>(iii) Innovative Ideas and other need-based interventions<br><br>(iv) Technology Upgradation<br><br>(v) Skill Development. |
| 2. | Regulatory | The Hank Yarn Packing Notification, 2003, which was issued vide notification No.2/TDRO/8/2003 dated 17.04.2003, amended vide Notification No.7/TDRO/6/2019 dated 07.03.2019, by the Textile Commissioner, is continued to be in operation. Under the scheme every producer of obligatory variety of yarn is required to pack 30% of the same in hank form, provided 80% of such obligation is fulfilled in counts 80s & below. The Hank Yarn Packing Obligation is intended to ensure adequate supply of hank yarn at reasonable price to the handloom weavers. The Office of the Textile Commissioner through its Regional Offices monitors the fulfillment of Hank Yarn Obligation by the mills. |

# मैनुअल – 6

## धारा 4. (1) (b) (vi) उन दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण जो इस संस्था के पास हैं या इसके नियंत्रण में हैं

**इस संस्था के पास मौजूद दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:**

| अनु क्र | श्रेणी | दस्तावेज़ का विषय |
|---|---|---|
| 1. | **वस्त्र उद्योग का विकास** | **प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स)**<br>वस्त्र मंत्रालय की एक प्रमुख योजना, प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स ) 1999 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य वस्त्र तथा पटसन उद्योग के सभी सब-सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना था, ताकि 5% ब्याज की भरपाई के ज़रिए मशीनों को उन्नत किया जा सके। इस योजना को शुरू में 01.04.1999 से 31.03.2004 तक के लिए मंज़ूरी दी गई थी। बाद में, 2004 और फिर 2007 में कुछ बदलावों के साथ इस योजना को आगे बढ़ाया गया। यह योजना 29.06.2010 से 27.04.2011 के बीच रोक दी गई थी। 2010 तक कुल 2,07,747 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।<br>**पुनर्गठित प्रौ उ नि योजना (आर टफ्स)**<br>पुनर्गठित टीयूएफ योजना (आर टफ्स) को 28/04/2011 से 31/03/2012 तक के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें कुल सब्सिडी की सीमा 1,972 करोड़ रुपये तय की गई थी। इससे 46,900 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद थी, जिसमें अलग-अलग सेक्टर का निवेश हिस्सा इस तरह था: स्पिनिंग के लिए 26%, वीविंग के लिए 13%, प्रोसेसिंग के लिए 21%, गारमेंटिंग के लिए 8% और अन्य के लिए 32%। चूंकि 1,972 करोड़ रुपये की तय सब्सिडी सीमा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया था और 12वीं योजना के टफ्स प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण किसी भी तरह के अंतराल से बचने के लिए, कपड़ा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग, योजना वित्त-II डिवीजन) के 23.4.2012 के स्पष्टीकरण वाले का.ज्ञा. सं 1(3)/पी एफ.II/2011 के अनुसार, उपयोग न की गयी हुई सब्सिडी सीमा की उपलब्धता के आधार पर आर - टफ्स को 12वीं योजना के पहले साल तक बढ़ाने की अनुमति दी। पुनर्गठित टफ्स और 12वीं योजना में इसके जारी रहने से 37,513 करोड़ रुपये का निवेश आया है।<br>**संशोधित पुनर्गठित प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआर - टफ्स)** - (आर-टफ्स को 12वीं योजना के पहले वर्ष तक, अर्थात 31.03.2013 तक बढ़ाया गया था। इस योजना को 01.04.2013 से 12.01.2016 तक संशोधित और पुनर्गठित रूप में जारी रखा गया और इसे संशोधित पुनर्गठित प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना' (आरआर - टफ्स) के नाम से जाना गया। सीसीईए ने 12वीं योजना अवधि के लिए टफ्स के तहत कुल 11,952.80 करोड़ रुपये के फंड आवंटन को मंज़ूरी दी। इसके अलावा, संशोधित पुनर्गठित टफ्स (आरआर - टफ्स) में, स्टैंडअलोन कताई क्षेत्र के लिए कुल सब्सिडी खर्च को योजना के 11,952.80 करोड़ रुपये के आवंटन का 26% तय किया गया था।<br>**आशोधित टफ्स (ए टफ्स) आशोधित प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना(ए टफ्स)** - वस्त्र मंत्रालय ने 13.01.2016 के समसंख्यक प्रस्ताव के माध्यम से आशोधित प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना(ए टफ्स) की सूचना जारी की। इस प्रस्ताव के अनुसार, 13.01.2016 से 31.03.2022 तक ए टफ्स को लागू करने की अवधि के दौरान इसके वित्तीय और ऑपरेशनल पैरामीटर और इसे लागू करने का तरीका, 29.02.2016 के प्रस्ताव नंबर 6/5/2015- टफ्स के तहत जारी ए टफ्स की दिशा निर्देशों में दिया गया है।<br>दिशा निर्देशों में बताए गए उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:<br>देश में आसानी से बिज़नेस करने को बढ़ावा देना और उत्पादन में "ज़ीरो इफ़ेक्ट और ज़ीरो डिफ़ेक्ट" के साथ "मेक इन इंडिया" के ज़रिए रोज़गार पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को हासिल करना। |

इसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग में निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता,रोज़गार और निर्यात को बढ़ाना है, साथ ही आयात के विकल्प को भी बढ़ावा देना है। यह वस्त्र मशीनरी (बेहतरीन प्रोद्योगिकी वाली) बनाने के क्षेत्र में निवेश को भी परोक्ष रूप से बढ़ावा देगा।

दरें और कुल सब्सिडी की सीमाएँ नीचे दी गई हैं:

हर पात्र व्यक्ति या संस्था को एटफ स्कीम के तहत, पात्र निवेश पर, पीछे बताई गई दरों और कुल सब्सिडी सीमा के अनुसार कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी (सीआईएस) का भुगतान किया जाएगा:

| अनु क्र | खंड | पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) की दर | व्यक्तिगत इकाई के लिए सीआईएस |
|---|---|---|---|
| 1. | परिधान, तकनीकी वस्त्र # | पात्र मशीनों पर 15% | रु.30 करोड़* |
| 2 | बिल्कुल नए शटल-रहित करघों (बुनाई, तैयारी और बुनाई सहित), प्रसंस्करण, जूट, रेशम और हथकरघा के लिए बुनाई। | पात्र मशीनों पर 10% | Rs.20 करोड़* |
| 3(ए) | (क) कम्पोजिट यूनिट/मूल सेगमेंट - यदि गारमेंटिंग और टेक्निकल टेक्सटाइल्स श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत के 50% से अधिक है। | पात्र मशीनों पर 15% | रु.30 करोड़* |
| 3(बी) | (ख) समग्र इकाई/एकाधिक खंड- यदि परिधान के संबंध में पात्र पूंजी निवेश और तकनीकी वस्त्र श्रेणी पात्र परियोजना लागत के 50% से कम है। | पात्र मशीनों पर 10% | Rs.20 करोड़* |

* यदि आवेदक ने आरआर - टफ्स के तहत पहले सब्सिडी का लाभ उठाया था, तो वह किसी व्यक्तिगत इकाई के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर केवल शेष राशि के लिए पात्र होगा। ए टफ्स के तहत एक व्यक्तिगत इकाई द्वारा समग्र निवेश के लिए अधिकतम सब्सिडी संबंधित खंडों के लिए ऊपर बताए गए अनुसार प्रतिबंधित होगी।

# प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 22.06.2016 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वस्त्र और परिधान क्षेत्र के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों को मंजूरी दी गई है. अतिरिक्त प्रोत्साहनों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) से संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से उत्पादन प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है। परिधान क्षेत्र के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन को संकल्प संख्या 6/18/2016- टफ्स दिनांक 25.07.2017 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, **जो परिधान क्षेत्र में प्रोत्साहन उत्पादन और रोजगार सृजन में ए** टफ्स **के तहत परिधान इकाइयों (एसपीईएलएसजीयू) के लिए उत्पादन और रोजगार से जुड़े समर्थन की योजना** के रूप में है (आईटीसी एनएसएन कोड अध्याय 61,62)। एसपीईएलएसजीयू के उद्देश्य के अनुसार, वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार उन परिधान इकाइयों के लिए अतिरिक्त 10% पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान करेगी जिन्होंने 3 वर्ष की अवधि के बाद अनुमानित उत्पादन और

रोजगार की उपलब्धियों के आधार पर ए टफ्स के तहत 15% सीआईएस लाभ प्राप्त किया है। 3 वर्ष की अवधि की गणना उस इकाई को ए टफ्स सब्सिडी जारी करने की तारीख से की जाएगी। यह योजना ए टफ्स के समाधान की तारीख अर्थात 13.01.2016 से 31.03.2019 तक लागू हुई।

इसके अलावा, एसपीईएलएसजीयू की तर्ज़ पर ए टफ्स के तहत मेड-अप्स बनाने वाली इकाइयों को भी यह फ़ायदा दिया गया है। इसकी जानकारी 10.01.2017 के संकल्प संख्या 6/18/2016-TUFS के माध्यम से दी गई है। मेड-अप्स इकाइयों को 10% की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है, जिससे ए टफ्स के तहत एसपीईएलएसजीयू की तरह ही अधिकतम सीमा (कैप) बढ़कर ₹50 करोड़ हो जाती है। यह सब्सिडी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में बताए गए अनुमानित उत्पादन और रोज़गार के लक्ष्यों को हासिल करने के आधार पर दी जाती है। यह अतिरिक्त सब्सिडी तीन साल की अवधि के बाद दी जाएगी।

31.03.2022 को संशोधित टफ्स (एटफ्स) स्थिति के तहत राज्यवार जारी यूआईडी

**31/03/2022 को संशोधित टफ्स (एटफ्स) स्थिति के तहत जारी राज्यवार विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी)**

| राज्य का नाम | आवेदन (इकाइयों) /मामलों की संख्या | कुल परियोजना लागत (करोड़) | अनंतिम सब्सिडी राशि (करोड़) | नए रोजगार कुल | मौजूदा रोजगार कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 35 | 775.23 | 31.47 | 8473 | 8996 |
| असम | 1 | 10.79 | 0.41 | 59 | 0 |
| बिहार | 5 | 118.33 | 8.94 | 280 | 39 |
| छत्तीसगढ़ | 7 | 125.22 | 9.34 | 297 | 318 |
| दादरा एवं नगर | 161 | 1300.18 | 100.55 | 5718 | 15814 |
| दमन और दीव | 32 | 183.09 | 11.35 | 727 | 3222 |
| दिल्ली | 32 | 54.58 | 5.73 | 337 | 2562 |
| गुजरात | 7893 | 28868.13 | 2207.42 | 90187 | 81594 |
| हरयाणा | 635 | 3425.48 | 283.09 | 28974 | 231605 |
| हिमाचल प्रदेश | 23 | 173.42 | 13.17 | 630 | 2986 |
| झारखंड | 12 | 482.28 | 36.62 | 9902 | 6304 |
| कर्नाटक | 158 | 2594.69 | 186.02 | 44060 | 54503 |
| केरल | 12 | 63 | 3.25 | 663 | 2798 |
| मध्य प्रदेश | 136 | 2195.79 | 129.82 | 7825 | 12575 |
| महाराष्ट्र | 1729 | 8489.89 | 576.15 | 26724 | 54850 |
| उड़ीसा | 3 | 122.9 | 2.19 | 2522 | 9950 |
| पंजाब | 1053 | 2691.86 | 204.53 | 16298 | 121526 |
| राजस्थान | 420 | 3825.96 | 207.95 | 11860 | 60738 |
| तमिलनाडु | 1405 | 8024.9 | 595.98 | 88661 | 519566 |
| तेलंगाना | 30 | 1728.25 | 73.4 | 2866 | 1445 |
| उत्तर प्रदेश | 378 | 2009.69 | 156.76 | 27302 | 106432 |
| उत्तरांचल | 20 | 321.71 | 28 | 2405 | 2422 |
| पश्चिम बंगाल | 212 | 1577.6 | 91.11 | 16519 | 41477 |
| **कुल योग** | **14392** | **69162.97** | **4963.25** | **393289** | **1341722** |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1. **संशोधित व्यापक पावरलूम क्लस्टर विकास योजना**<br><br>पावरलूम मेगा क्लस्टर की स्थापना से उत्पादन श्रृंखला को एकीकृत करने, स्थानीय लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने और उत्पादन और निर्यात आदि को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल है।<br><br>क्लस्टर की जरूरतों के आधार पर मौजूदा बुनाई इकाइयों या निजी इक्विटी भागीदारी वाले एसपीवी को सीधे हस्तक्षेप प्रदान किए जाएंगे। सरकारी अनुदान/इक्विटी 60:40 के अनुपात में उद्योग द्वारा समतुल्य निवेश की अपेक्षा के साथ प्रदान किया जाएगा: सरकार: निजी। यह है कि परियोजना में 40 करोड़ रुपये के समान निवेश को जुटाने के लिए सरकारी अनुदान द्वारा 60 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, हालांकि, आवश्यकता/वित्तीय समापन के आधार पर, निवेश के इस समग्र अनुपात के भीतर लचीलेपन का प्रयोग करके अलग-अलग घटकों के लिए पीएएमसी के अनुमोदन के साथ अनुपात में बदलाव किया जा सकता है।<br><br>1. परियोजना के निम्नलिखित घटक क्लस्टर में अनुदान की समग्र सीमा के भीतर योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र होंगे:<br><br>i. लूम पर बुनाई से पहले और बाद की प्रक्रियाओं के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी)<br>ii. कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा समर्थित वर्कशेड के साथ मिनी-इंडस्ट्रियल पार्क<br><br>iii. अभिनव विचार और अन्य आवश्यकता-आधारित हस्तक्षेप<br><br>iv. प्रौद्योगिकी उन्नयन<br><br>v. कौशल विकास |
| 2. | **नियामक** | हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना, 2003, जिसे अधिसूचना संख्या 2/टीडीआरओ/8/2003 दिनांक 17.04.2003 द्वारा जारी किया गया था, जिसे वस्त्र आयुक्त द्वारा अधिसूचना संख्या 7/टीडीआरओ/6/2019 दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से संशोधित किया गया था, अभी भी परिचालन में है। इस योजना के तहत यार्न की अनिवार्य किस्म के प्रत्येक उत्पादक को इसका 30 प्रतिशत हैंक फॉर्म में पैक करना आवश्यक है, बशर्ते कि इस तरह के दायित्व का 80 प्रतिशत 80 और उससे कम की संख्या में पूरा किया गया हो। हैंक यार्न पैकिंग दायित्व का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्य पर हैंक यार्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मिलों द्वारा हैंक यार्न दायित्व की पूर्ति की निगरानी करता है। |

000